RCMS No. 2017/00150

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 12/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

परिवादी

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) : श्री गिरधारीलाल पुत्र मोतीराम वगैरा निवासी मैन बाजार सादूलशहर, जिला श्रीगांगनगर फर्म : **मै. अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सादुलशहर,** तहसील सादुलशहर जिला श्रीगांगनगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 15.11..2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 27.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत(सेवानवृित) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2015 को सुबह 1.15 पी.एम. पर फर्म मै. अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार सादूलशहर, तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के पास पहुंचें, वहां पर उपस्थित व्यक्तियों को अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। श्री गिरधारी लाल पुत्र मोतीराम वगैरा फर्म मै. अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार, सादूलहशर, तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर खाद्य पदार्थ मावा बनाकर बेचता हुआ पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ मावा के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में स्टील बॉक्स में रखे मावे के 10 किग्रा बिक्री हेतु रखा हुआ था में से 2 किग्रा नमूना जांच हेतु खरीदें, जिनकी कीमत 400/– अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म सख्या 5 ए तैयार किया, खाद्य कारोबरकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करवायें एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा मावा को चार नूमना बोतलों को बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली चारों नमूना जारों पर 'एक'–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम. एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–609 को नियमानुसार ऊपर से नीचे गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री रितेश कुमार ने पढकर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच. ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3006/एक्ट/2015/1135 दिनांक 06.11.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–609 मावा **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में रितेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल फर्म मै. अग्रवाल मिष्ठान भण्डार , मैन बाजार, सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर मावा का विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त रितेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल अग्रवाल ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गए नमूने के समय उनके पिता वहां मौजूद थे, उनके पिता की दिनांक 24.01.2016 को मृत्यु हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया था, वह बाजार से दूध लेकर तैयार किया गया था। यह दूध में फैट कम होने के कारण कम हो सकती है। हमारे द्वारा दूध की क्रीम नहीं निकाली गई थी। भविष्य में दूध की फैट चैक करके फिर मावा तैयार करेंगे। लोक अदालत की भावना से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया मावा सैम्पल के–609 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3006/एक्ट/2015/1135 दिनांक 06.11.2015 द्वारा Sub

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Standard होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया एवं कहा कि कि वे भविष्य Sub Standard मावा का विक्रय नही करूंगे एवं पूर्व में वह कार्य उनके पिता द्वारा किया जाता था, जिनकी मृत्यु दिनांक 24.01.2016 को हो चुकी है। अभियुक्त ने गलती को स्वीकार किया है एवं लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त से लिया गया मावा का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है। जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को एफ.एस.एस. ए. 2006 की धारा 51 के तहत 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त रितेश कुमार पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में मावा अथवा अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

15/11/17

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला म[illegible] (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर